न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1673/2025

(जमुई थाना कांड संख्या–328/2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई

राजकुमार दास उर्फ राजू कुमार बनाम बिहार सरकार

आदेश

21.05.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त **राजकुमार दास उर्फ राजू कुमार** पिता मोहन दास, साकिन–आनंदपुर, थाना–लक्ष्मीपुर, जिला– जमुई की ओर से जमुई थाना कांड संख्या–328/2023 अन्तर्गत धारा 393/307 भा0द0वि0 एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट में अग्रिम जमानत हेतु दाखिल किया गया है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0एन0 सिंह तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को अग्रिम जमानत के बिन्दु पर सुना गया।

2. आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एक आवेदन दाखिल कर निवेदन करते हैं कि अग्रिम जमानत आवेदन संचालित नहीं करना चाहते है।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक को जमानत आवेदन के वापसी पर कोई आपत्ति नहीं है और कथन किया गया है कि इस वाद में तीन नकाव पोश के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा इस वाद में अनुसंधानक द्वारा तीन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है तथा अग्रिम अनुसंधान बंद किया गया। आवेदक का नाम अभी तक के अनुसंधान में या बाद में नहीं आया है। निवेदन किये है कि जमानत आवेदन संचालित होने योग्य नहीं है।

4. दोनों पक्षों को सुना गया। विचारण न्यायालय के अभिलेख का भी अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि प्राथमिकी तीन नकाव पोशी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र संख्या 397/23 दिनांक 19.10.2023 को रतन दास, रंजीत दास उर्फ मंटू दास पे0 स्व0 बालेदव दास एवं मन्टू दास पिता प्रकाश दास के विरूद्ध समर्पित किया गया है, जिसमें आवेदक का नाम नहीं है। पु0नि0 सह थानाध्यक्ष, लक्ष्मीपुर थाना, जमुई के ज्ञापांक संख्या 1303/26 दिनांक 08.05.2026 द्वारा कथन किया गया है कि लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 328/23 दिनांक 16.04.23 धारा 393/307 भा0द0वि0 एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट में राज कुमार दास उर्फ राजू कुमार पिता मोहन दास साकिन आनंदपुर थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई नाम का अभियुक्त इस कांड में आरोपीत नहीं है। इस कांड में अनुसंधान उपरांत आरोप पत्र संख्या 397/23 दिनांक 19.10.2023 समर्पित किया गया है जो माननीय न्यायालय में प्राप्त कराया जा चुका है।

अतः आवेदक **राज कुमार दास उर्फ राजू कुमार** पिता मोहन दास साकिन आनंदपुर थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वापसी का दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण वापसी के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई